न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– मुकेश कुमार कलाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
024/2019 (GCMS 2019/00066)	31.12.2019	17.12.2020

अनवान

1. कालुराम पिता नाथुलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मिट्ठुलाल पिता नाथुलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलान्टगण

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोडेंट

–:: अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार कपासन प्रकरण संख्या 109/2016 तारीख आदेश 29.07.2019 ::–

उपस्थिति :– श्री सुरेश शर्मा — अधिवक्ता अपीलांट
श्री भैरूलाल सालवी — राजकीय अधिवक्ता

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
025/2019 (GCMS 2019/00088)	31.12.2019	17.12.2020

अनवान

1. रामलाल पिता हरलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मोहनलाल पिता हरलाल नाथुलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलान्टगण

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोडेंट

–:: अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार कपासन प्रकरण संख्या 110/2016 तारीख आदेश 29.07.2019 ::–

उपस्थिति :– श्री सुरेश शर्मा — अधिवक्ता अपीलांट
श्री भैरूलाल सालवी — राजकीय अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:36 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: निर्णय ::–

न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण संख्या राजस्व अपील 024/2019 अनवानी कालुराम बनाम सरकार एवं प्रकरण संख्या राजस्व अपील 025/2019 अनवानी रामलाल बनाम सरकार दोनो प्रकरण के तथ्य प्रकृति एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक एक ही होने से दोनो प्रकरणों में एक साथ ही बहस सुनी जाकर प्रकरणों का निस्तारण एक निर्णय से किया जाता है। प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण संख्या 024/2019 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का करजाली द्वारा आराजी संख्या 3726/1435 रकबा 0.14 हैक्टर पडत में से 0.07 हैक्टर पर अतिक्रमण बता कार्यवाही की गई। जबकि उक्त आराजी अपीलांट के खातेदारी की आराजीयात ही है लेकिन दौराने सेंटलमेंट भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी कारण उक्त भूमि को पडत बिलानाम दर्ज कर दिया गया है जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा विधिवत कार्यवाही की जावेगी। माननीय अधीनस्थ न्यायालय का नोटिस प्राप्त होने पर जानकारी हुई कि साबिक आराजी संख्या 845 एवं 846 दोनो अपीलांट के पिता के खातेदारी में थी और भू–प्रबंध के दौरान भू–प्रबंध विभाग द्वारा दोनो आराजीयात साबिक के बीच उक्त आराजी बिलानाम पडत दर्ज कर दी जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था, और अब जानकारी होने पर सक्षम न्यायालय द्वारा कार्यवाही कर पुनः अपीलांट के नाम दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी। साबिक नक्शा ट्रेस एवं नवीन नक्शा ट्रेस व मिलान क्षेत्रफल व साबिक जमाबंदी एवं नवीन जमाबंदी के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी कारण उक्त नवीन पडत भूमि 0.14 हैक्टर निकाल दी गई है जो किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है और अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा बिना कोई आधार के बेदखल का आदेश दे दिया गया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते उससे पूर्व ही उपस्थिति दर्ज कर निर्णय कर दिया जिसकी जानकारी भी अपीलांट को नहीं हो सकी, क्योंकि अपीलांट द्वारा अपना पक्ष रखने हेतु आयंदा तारीख हेतु निवेदन किया गयाय, लेकिन प्रिंटेड निर्णय पर खाली स्थानन पर नाम पता दर्ज कर बेदखली आदेश दिया। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा दिनांक 29.07.2019 को निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.12.2019 को हुई उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 12.12.2019 को ही प्राप्त हुई तत्पश्चात् विधि सलाह की राय प्राप्त कर अपील अपीलांट बाद जानकारी अन्दर मयाद एक माह पेश है, फिर भी अपील में हुये विलम्ब को विस्तारित फरमाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद अधिनियम मय शपथपत्र के पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील बहक अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.07.2019 निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान [illegible] जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:46 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसी प्रकार राजस्व अपील प्रकरण संख्या 025/2019 अनवानी रामलाल वगैराह बनाम सरकार का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का करजाली द्वारा आराजी संख्या 3726/1435 रकबा 0.14 हैक्टर पडत में से 0.07 हैक्टर पर अतिक्रमण बता कार्यवाही की गई। जबकि उक्त आराजी अपीलांट के खातेदारी की आराजीयात ही है लेकिन दौराने सेंटलमेंट भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी कारण उक्त भूमि को पडत बिलानाम दर्ज कर दिया गया है जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा विधिवत कार्यवाही की जावेगी। माननीय अधीनस्थ न्यायालय का नोटिस प्राप्त होने पर जानकारी हुई कि साबिक आराजी संख्या 845 एवं 846 दोनो अपीलांट के पिता के खातेदारी में थी और भू–प्रबंध के दौरान भू–प्रबंध विभाग द्वारा दोनो आराजीयात साबिक के बीच उक्त आराजी बिलानाम पडत दर्ज कर दी जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था, और अब जानकारी होने पर सक्षम न्यायालय द्वारा कार्यवाही कर पुनः अपीलांट के नाम दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी। साबिक नक्शा ट्रेस एवं नवीन नक्शा ट्रेस व मिलान क्षेत्रफल व साबिक जमाबंदी एवं नवीन जमाबंदी के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी कारण उक्त नवीन पडत भूमि 0.14 हैक्टर निकाल दी गई है जो किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है और अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा बिना कोई आधार के बेदखल का आदेश दे दिया गया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते उससे पूर्व ही उपस्थिति दर्ज कर निर्णय कर दिया जिसकी जानकारी भी अपीलांट को नहीं हो सकी, क्योंकि अपीलांट द्वारा अपना पक्ष रखने हेतु आयंदा तारीख हेतु निवेदन किया गयाय, लेकिन प्रिंटेड निर्णय पर खाली स्थानन पर नाम पता दर्ज कर बेदखली आदेश दिया। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा दिनांक 29.07.2019 को निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.12.2019 को हुई उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 12.12.2019 को ही प्राप्त हुई तत्पश्चात् विधि सलाह की राय प्राप्त कर अपील अपीलांट बाद जानकारी अन्दर मयाद एक माह पेश है, फिर भी अपील में हुये विलम्ब को विस्तारित फरमाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद अधिनियम मय शपथपत्र के पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील बहक अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.07.2019 निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

इस प्रकार हस्तगत दोनो प्रकरण राजस्व अपील प्रकरण संख्या 024/2019 अनवानी कालुराम वगैराह बनाम सरकार निर्णय दिनांक 29.07.2019 एवं प्रकरण संख्या 025/2019 अनवानी रामलाल वगैराह बनाम सरकार निर्णय दिनांक 29.07.2019 के तथ्य, प्रकृति एवं निर्णय एक ही प्रकार के होने से प्रकरण को एक साथ सुनवाई हेतु रखा गया।

इस पर अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:46 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। तहसीलदार कपासन के पत्रांक/राजस्व/2020-21/123 दिनांक 27.10.2020 से उनकी पत्रावली संख्या 109/2019 अनवानी सरकार बनाम कालुराम वगैराह अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 एवं पत्रांक/राजस्व/2020-21/124 दिनांक 27.10.2020 से उनकी पत्रावली संख्या 110/2019 अनवानी सरकार बनाम रामलाल वगैराह अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है। राजकीय अधिवक्ता की और से प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सीधे अपील पत्रावली किये जाने की ईश्तदुआ की गई, इस पर अधिवक्ता अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उज्र एतराज नहीं होना जाहिर किया गया।

इस पर दोनो पत्रावलियों में संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही ड्रॉप की जाकर उभयपक्ष को मियाद के बिन्दु पर सुना गया। अधिवक्ता अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि दिनांक 29.07.2019 से दिनांक 11.12.2019 तक की देरी निर्णय की जानकारी नहीं होने एवं तत्पश्चात् की देरी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने एवं विधिक सलाह प्राप्त करने से हुई है जिससे अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित है। अतः मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को कण्डोन किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। इस पर राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.07.2019 पर अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित है एवं अपीलांट्स आदेश दिनांक 29.07.2019 की जानकारी होने के बावजूद अपीलांट्स द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाया जावें। इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस मियाद के रिवटल में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते उससे पूर्व ही उपस्थिति दर्ज कर निर्णय कर दिया जिसकी जानकारी भी अपीलांट को नहीं दी गई एवं ना ही किसी भी प्रकार का आदेश सुनाया गया ऐसी स्थिति में अपीलांट को निर्णय दिनांक 29.07.2019 की जानकारी प्राप्त नहीं हुई एवं इसी आशय का शपथ पत्र न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अतः अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को क्षम्य किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रकरण जायदाद से संबंधित से ऐसी स्थिति में प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना ही उचित प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में दोनो अपीलों में अपील प्रस्तुती के हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाता है।

इसके पश्चात उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस अपील को उभयपक्ष सुना गया। [illegible] अधिवक्ता अपीलांट ने अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:46 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रश्नगत आराजी अपीलांट के खातेदारी की आराजीयात ही है लेकिन दौराने सेंटलमेंट भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी कारण उक्त भूमि को पडत बिलानाम दर्ज कर दिया गया है जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाकर इन्द्राज दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में इस बाबत चाराजोही की कार्यवाही की जा रही है। प्रश्नगत आराजी के साबिक आराजी संख्या 845 एवं 846 दोनो अपीलांट के पिता के खातेदारी में थी और भू–प्रबंध के दौरान भू–प्रबंध विभाग द्वारा दोनो आराजीयात साबिक के बीच उक्त आराजी बिलानाम पडत दर्ज कर दी जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था, और अब जानकारी होने पर सक्षम न्यायालय द्वारा कार्यवाही कर पुनः अपीलांट के नाम दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी। साबिक नक्शा ट्रेस एवं नवीन नक्शा ट्रेस व मिलान क्षेत्रफल व साबिक जमाबंदी एवं नवीन जमाबंदी के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी कारण उक्त नवीन पडत भूमि 0.14 हैक्टर निकाल दी गई है जो किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक अपास्त फरमाये जावें। इस पर राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस पत्रावली में निवेदन किया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2019 प्रश्नगत आराजी संख्या 3736/1435 रकबा 0.14 हैक्टर में अपीलांट्स द्वारा 0.07–0.07 हैक्टर पर पृथक–पृथक कब्जा कर अतिक्रमण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, चूंकि विवादित आराजीयात किस्म बिलानाम होकर राजकीय भूमि है जिस पर अतिक्रमण किये जाने पर अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के विधिक प्रावधानों के अध्यधीन सक्षम न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर बाद सुनवाई निर्णय पारित किया गया है, इसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं होने से अपील अपीलांट्स खारीज फरमाई जावें। इस पर बहस अपील के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट् ने निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजीयात के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा अपने दावे एवं हक प्रस्तुत किये जाने का समय नहीं दिया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जल्दबाजी में बिना किसी साक्ष्य सबूतों को रिकार्ड पर लिये बगैर ही पारित कर दिया गया है एवं अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। अपीलांट्स द्वारा प्रश्नगत आराजीयात के संबंध में कथन किया गया है कि प्रश्नगत आराजी अपीलांट्स की खातेदारी की आराजीयात ही है, लेकिन सेंटलमेंट के दौरान उक्त आराजीयात को सेंटलमेंट विभाग द्वारा पडत बिलानाम दर्ज रिकार्ड कर दी गई, प्रश्नगत आराजीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:46 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

साबिक आराजी संख्या 845, 846 से ही बनी हुई है कि अपीलांट्स के पूर्वजों के खातेदारी आराजीयात थी, जबकि प्रश्नगत आराजी संख्या 3726/1435 रकबा 0.14 हैक्टर वर्तमान में बिलानाम दर्ज रिकार्ड है जिस पर अपीलांट्स द्वारा अतिक्रमण किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजीयात पर अपीलांट्स का किसी भी प्रकार से हक हिस्सा निहित है तो अपीलांट्स इस संबंध में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में प्रश्नगत आराजीयात बिलानाम दर्ज रिकार्ड है जिस पर अपीलांट्स द्वारा अतिक्रमण किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.07.2019 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.07.2019 विधि सम्मत होकर इसमे किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.07.2019 संपुष्ट किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन दोनो प्रकरण राजस्व अपील प्रकरण संख्या 024/2019 अनवानी कालुराम वगैराह बनाम सरकार एवं प्रकरण संख्या 025/2019 अनवानी रामलाल वगैराह बनाम सरकार की अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारीज की जाती है, एवं दोनो प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2019 को यथावत रखा जाता है।

मूल निर्णय पत्रावली संख्या 024/2019 अनवानी कालुराम वगैराह बनाम सरकार निर्णय दिनांक 29.07.2019 में हम किता की जावें। निर्णय की प्रति पत्रावली संख्या प्रकरण संख्या 025/2019 अनवानी रामलाल वगैराह बनाम सरकार में रखी जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **17.12.2020** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कलाल)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन)चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:46 IST
Reason: SelfAttested